HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 5th August, 2013

No. CCP (NCR)/HSR-Hansi/ACA/2013/1979:- Whereas, in the opinion of the Government the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be an additional controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the Additional Controlled Area of Hansi, district Hisar to be read with Drawing No. DTP (H) 3562/2012, dated 21st February 2012.

West :- Starting from point 'A' i.e. the south-west corner of rectangle no. 277 of village Hansi (Hadbast no. 119) which meets the Controlled Area of Hansi declared *vide* notification No. 2TCP-79/780 dated the 26th March, 1979, thence moving towards north along the western boundary of Rectangle No. 277, 252, 240, 217 and 207 of village Hansi (Hadbast No. 119) upto point 'B' which is the southern bank of Bhatla Minor.

North :- Thence moving from point 'B' towards east along the southern bank of Bhatla Minor upto point 'C' which is the meeting point of the southern bank of Bhatla Minor and western revenue boundary of village Bir Hansi (Hadbast no. 120).

East :- Thence moving from point 'C' towards south along the western revenue boundary of village Bir Hansi (Hadbast no. 120) upto point 'D' which is the tri-junction of boundaries of village Hansi (Hadbast no.119), village Bir Hansi (Hadbast no. 120) and the Controlled Area of Hansi declared *vide* notification No. 2TCP-79/780 dated the 26th March, 1979.

South :- Thence moving from point 'D' towards west along the Controlled Area of Hansi declared vide notification No. 2TCP-79/780, dated the 26th March, 1979, upto point 'A' *i.e.* the point of start.

T.C. Gupta,
Principal Secretary to Government, Haryana
Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्रम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 5 अगस्त, 2013

सख्या सी0सी0पी0(एन0सी0आर0)/ एच0एस0आर0–हांसी/(ए0सी0ए0/2013/1979:– चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिये संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रो को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र के रुप में घोषित करते हैं, अर्थात् :–

अनुसूची

अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र, हांसी, जिला हिसार की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग सख्या डी0टी0पी0(एच0)3562/2012, दिनांक 21फरवरी 2012 के साथ पढ़ा जाए।

पश्चिमः बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, अर्थात् गांव हांसी (हदबस्त संख्या 119) की आयत संख्या 277 का दक्षिणी–पश्चिमी कोना है, जो अघिसूचना सख्या 2 टी0सी0पी0. 79/780, दिनांक 26 मार्च, 1979 द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र, हांसी से मिलता है, इसके बाद उत्तर की तरफ गांव हांसी (हदबस्त संख्या 119) की आयत संख्या 277, 252, 240, 217 और 207 की पश्चिमी सीमा के साथ–साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि भाटला रजबाहा का दक्षिणी किनारा है।

उत्तर : तत्पश्चात बिन्दु 'बी' से चल कर पूर्व की तरफ भाटला रजबाहा के दक्षिणी किनारे के साथ–साथ बिन्दु 'सी' तक जोकि भाटला रजबाहा का दक्षिणी किनारा और गांव बीड हांसी (हदबस्त संख्या 120) की पश्चिमी सीमा का मिलान बिन्दु है।

पूर्व : तत्पश्चात बिन्दु 'सी' से चल कर दक्षिण की तरफ गांव बीड हांसी (हदबस्त संख्या 120) की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ–साथ बिन्दु ' डी' तक जोकि गांव हांसी (हदबस्त संख्या 119), गांव बीड हांसी (हदबस्त संख्या 120) और अघिसूचना सख्या 2 टी0 सी0 पी0.79/780, दिनांक 26 मार्च, 1979 द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र हांसी की सीमाओं का त्रिकोणीय मिलान है।

दक्षिण : तत्पश्चात बिन्दु 'डी' से चल कर पश्चिम की तरफ अघिसूचना सख्या 2 टी0 सी0 पी0.79/780, दिनांक 26 मार्च, 1979 द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र हांसी के साथ–साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है ।

टी॰ सी॰ गुप्ता
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।